

अंचल अधिकारी का न्यायालय, सुन्दरपहाड़ी।

आदेश फलक

मंतव्य

तिथि


14-07-2023

उभय पक्ष उपस्थित, दोनों ही पक्ष के द्वारा अपने-अपने साक्ष्य के रूप में भूमि संबंधी प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जो कि अपठनीय है। मूल प्रति की मांग करने पर दोनों ही पक्ष के द्वारा बताया गया कि उनका मूल प्रति सत्र न्यायालय गोड्डा में जमा किया गया है। चूंकि मामला सत्र न्यायालय गोड्डा में प्रक्रियाधीन है, दोनों ही पक्ष को सत्र न्यायालय के आदेश के उपरांत आदेश का अनुपालन करना चाहिए। मामला सत्र न्यायालय गोड्डा में प्रक्रियाधीन होने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित


14/07/23

अंचल अधिकारी,


14/07/23

अंचल अधिकारी,

सुन्दरपहाड़ी।